राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(2)नविवि/2020 दिनांकः– 8 SEP 2020

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि नगर सुधार न्यास श्रीगंगानगर के विनिश्चय के क्रम में नीचे विनिर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए "फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ" योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। भूमि की सीमाऐं व क्षेत्रफल निम्न प्रकार से हैः–

ग्राम– चक 4ए छोटी मुरब्बा संख्या 16, 17, 20, 21, 29 व 30 कुल 150 बीघा भूमि का विस्तार/ विशिष्टियां

उत्तर :– मुरब्बा नम्बर 16 के पश्चिमी–उत्तरी कौने से मुरब्बा लाईन के साथ–साथ पूर्व की तरफ चलते हुए इसी चक के मुरब्बा नम्बर 17 के पूर्वी–उत्तरी कौने तक।

दक्षिण :– मुरब्बा नम्बर 29 के पश्चिमी–दक्षिणी कौने से पूर्व की तरफ मुरब्बा लाईन के साथ–साथ पूर्व की तरफ चलते हुए इसी चक के मुरब्बा नम्बर 30 के पूर्वी–दक्षिणी कौने तक।

पूर्व :– मुरब्बा नम्बर 17 के पूर्वी–उत्तरी कौने से मुरब्बा लाईन के साथ दक्षिण की तरफ चलते हुए इसी चक के मुरब्बा नम्बर 30 के पूर्वी–दक्षिणी कौने तक।

पश्चिम :– मुरब्बा नम्बर 16 के उत्तरी–पश्चिमी कौने से साहूवाला रोड़/मुरब्बा लाईन के साथ–साथ दक्षिण को चलते हुए इसी चक के मुरब्बा नम्बर 29 के पश्चिमी–दक्षिणी कौने तक।

उक्त योजना का कुल क्षेत्रफल 150 बीघा है, उपरोक्त योजना का विस्तृत विवरण तथा उसका मानचित्र जन साधारण द्वारा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर कार्यालय में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक कार्यालय दिवस में देखा जा सकता है। यह योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
3. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अकं दिनांक 08.07.2020 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय